

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग-9,
देहरादून ।

संख्या 2283 /पाँच- 04 (2016-17)

दिनांक 14 जनवरी, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड स्टाम्प का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 27/(1)/2018/XXVII (9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार राज्य में सर्किल दरों को उत्तराखण्ड स्टाम्प का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान /प्रतिष्ठान सम्पत्तियों के मूल्यांकन (सर्किल रेट) उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदन के पश्चात जनपद में दिनांक 14.01.2018 से वर्तमान दरें लागू की गयी हैं जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(के0 आर0 मैटानी)

प्रभारी अधिकारी
कूते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून को सर्किल दर की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

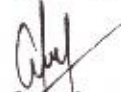
प्रभारी अधिकारी
कूते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

(सामान्य अनुदेशिका)

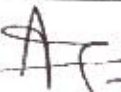
यह मूल्यांकन सूची का भाग है ।

(1)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
(1)	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
(क)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(ख)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(ग)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(घ)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा ।
(2)	वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी । सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा ।
(3)	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़ कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजानाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी ।
(4)	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं अनुलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा ।


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी


प्रभारी अधिकारी,
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

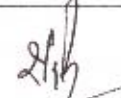

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

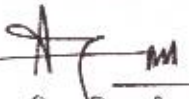

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(5)	एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, की अन्तरण विलेख में सुपर एरिया का तत्पार्य निर्मित क्षेत्र से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। लोअर ग्राउण्ड, फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावित होंगी। जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आंगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आंगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण में उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें, लागू की जायेगी परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7	उत्तर-प्रदेश वित्त निगम, उत्तर-प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित सम्पतियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेख पत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पतियों के अन्तरण विलेख पर सम्पति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में निर्धारित मानकों के अनुरूप जिला स्तर पर जिले के कलक्टर पर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
9	मूल्यांकन सूची में वर्णित/प्रमुख/मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची बिन्दु संख्या 8 में जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेख पत्रों के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पति का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेख पत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलक्टर को प्रेषित की जायेगी।
10	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्तमान सामान्य दरों 1.10 गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

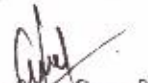

प्रभारी अधिकारी,
जिला कार्यालय उत्तरकाशी


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

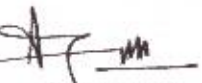

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

11	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, बहुमंजिली आवासीय परिसर, बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
13	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लैटरपोस, टिनपोस अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
14	फ्लैट का तत्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
15	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो, के अनुसार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनिया/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
16	वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास भूल्य देय नहीं है । ।
17	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
18	भूमि/सम्पत्ति में बाउन्ड्रीवाल के स्थित होने पर बाउन्ड्रीवाल का प्रति रनिंग मीटर की दर जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी।
19	भूमि की बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
20	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
21	किसी भी औद्योगिक इकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन निर्माण की प्रकृति तथा लिंटरपोश, टिनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूचि में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी


प्रभारी अधिकारी,
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

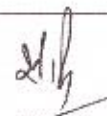

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

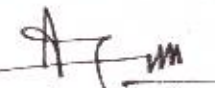

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

22	किसी भी औद्योगिक इकाई का अंतरण होने की दशा में उक्त इकाई में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्मेन्ट एप्रूब्ड वैल्यूवर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
23	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें 1 से अधिक स्थान पर निर्धारित हैं तो विलेख के द्वारा आंतरित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति की निर्धारित दरों के अनुसार उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
24	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गई हैं, तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
25	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) तथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
26	किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता य उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
27	मूल्यांकन सूची में नागरिक की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित की जाने वाले निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
(i)	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्रों तथा नगरीय, अर्द्धनगरीय/ग्रामीण आदि में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(ii)	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
(iii)	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेंट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(iv)	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगर पालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खवेट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहदी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(v)	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहदी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग/मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(vi)	पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर के मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है, में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी


प्रभारी अधिकारी,
जिला कार्यालय उत्तरकाशी


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

ग्रामीण क्षेत्र तहसील भटवाडी वर्ष 2018

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व मार्गों की श्रेणी	स्वीकृत दर	सामान्य दर (Base Rate)										
					कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
					0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी-क	1-मनेरी का बाजार व डेम कालोनी क्षेत्र 2-औगी का माटुसीह तोक,3-सैज का बाजार तोक,4-कुमाल्टी, 5-साटा,6-मल्ला ,7-भटवाडी, 8-धराली का बाजार वाला क्षेत्र 9- हर्षिल	श्रृषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	वर्ष 2018	16698000	1581800	152460000	1144	895	180	16045	18701	16045	14890	13735
2	श्रेणी-ख	1-मनेरी,2- सैज,3-पाला का स्वारी गांव तोक, 4-तिहार का गंगनानी 5- सुनगर का बाजार तोक, 6-गंगेली (गंगनानी/ डबरानी) 7-हुरी का गर्म कुण्ड 8 सुक्खी, 9-झाला, 10-धराली,	श्रृषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	वर्ष 2018	1641970	1555523	1499190	905	699	176	15816	18473	15816	14661	13506
3	श्रेणी-ग	1-पाला,2-बारू	भटवाडी -बारू मोटरमार्ग	वर्ष 2018	1558480	1476428	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
4	श्रेणी-ग	1-क्वार्क,2-बन्दाणी,3-नटीण,4- रैथल	भटवाडी-रैथल मोटरमार्ग	वर्ष 2018	1558480	1476428	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
5	श्रेणी-ग	1-पाही, 2-द्वारी, 3-गोरशाली, 4-जखोल	भटवाडी-गोरशाली मोटरमार्ग	वर्ष 2018	1558480	1476428	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
6	श्रेणी-ग	1-गैलाटिपरी, 2-सौरा,3-सारी	मल्ला-गैलाटिपरी सौरा सारी मोटरमार्ग	वर्ष 2018	1558480	1476428	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
7	श्रेणी-ग	1-जौकाणी,2-जखोल	सैज -जखोल मोटरमार्ग	वर्ष 2018	1558480	1476428	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
8	श्रेणी-घ	प्रारूप-1 व 2 को छोड़कर तहसील भटवाडी अन्तर्गत स्थित ऐसे अविकसित राजस्व ग्राम जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं।	1-मुखवा,2-जादुग 3-बगोरी,4-नेलंग,5-पुराली, 6-कुज्जन, 7-सौलंग, 8-सिल्ला, 9 जोडाव, 10-पिलंग, 11-मुक्की 12-सालू, 13-रयावा, 14 कनेथ 15-डिडरारी, 16-कामर, 17-जामक, 18-बायणा, 19-जसपुर टकनीर,	वर्ष 2018	0	0	1334025	0	0	164	156179	17836	15179	13423	12869

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

प्रमारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

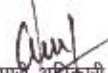
अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

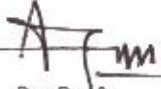
अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तहसील नटवाडी। वर्ष 2018

क्रमांक	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	वर्ष 2017 की दर	सामान्य दर (Base Rate)										
					कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट की दर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					निश्चरित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
					० से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	० से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
शून्य															


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रसाद अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

नगरीय क्षेत्र तहसील भटवाही। वर्ष 2018

क्र०सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	स्वीकृत दर	सामान्य दर (Base Rate)										
					कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय मकान में स्थित आवासीय फ्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक मकान की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
					0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी क	श्रृषिकेश -गंगोत्री राजराजमार्ग की सड़क के दोनों ओर स्थित गौजा गंगोत्री की भूमि	नगर पंचायत गंगोत्री	वर्ष 2018	14011140	13273478	12792780	1518	1439	1386	16401	20698	16401	15246	14091


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रमारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

ग्रामीण क्षेत्र उप तहसील जोशियाडा। वर्ष 2018 ।

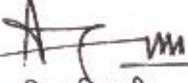
ग्रामीण क्षेत्र उप तहसील जोरियाडी पंच 2025														
क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1-गवाणा 2-नेताला 3- हीना	ऋषिकेश - गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1669800	1581888	1524600	1144	895	181	16045	18702	16045	14890	13735
2	श्रेणी-क	1-मानपुर का बाजार क्षेत्र ,2- अलेथ का बाजार क्षेत्र , 3-साडा का बाजार क्षेत्र 4-थलन का बाजार क्षेत्र	उत्तरकाशी -लम्बगांव मोटर मार्ग	1614140	1529158	1473780	772	616	174	15688	18348	15688	14536	13381
3	श्रेणी-ख	1- धनपुर,2-साहंग,3-मानपुर,4- थलन, 5-साडा, 6-अलेथ	उत्तरकाशी -लम्बगांव मोटर मार्ग	1586310	1502794	1448370	759	606	171	15680	18336	15680	14525	13370
4	श्रेणी-ग	1-गजौली, 2- नाल्ड का रवाडा तोक	गंगोरी -संगमचट्टी मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
5	श्रेणी-ग	1-पाटा, 2- संगाली,	तेखला-गहिडाण्डा मोटर मार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
6	श्रेणी-ग	1-मस्ताडी,2-बौगाडी, 3-कुरोली,4-कंकराडी	गुस्तिरकसीड-कुरोली कंकराडी मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
7	श्रेणी-ग	1-बसुगा,2-साल्ड, 3-गमदिडागांव, निसमोर	ज्ञानसू -साल्ड मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
8	श्रेणी-ग	उत्तरौ	गंगोरी-उत्तरौ मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
9	श्रेणी-ग	किशनपुर, मानपुर	मानपुर -किशनपुर मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356
10	श्रेणी-ग	नाल्ड	चिवा-नाल्ड मोटरमार्ग	1558480	1476429	1422960	745	596	169	15666	18323	15666	14511	13356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	श्रेणी-घ	प्रारूप-1 व 2 को छोड़कर तहसील गढ़वाही अन्तर्गत स्थित ऐसे अधिकशित राजस्व ग्राम जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं।	1-नौगांव, 2-भकोली, 3-अगोडा, 4-दंडलका 5- सैकु 6-झांसाडा, 7-झाण्डा, 8-अठाली, 9-ब्रामकोट, 10-पोखरी, 11-सिल्याण, 12-निराकोट, 13-दिलसौड (फनेरा रोड को छोड़कर) 14- बग्यालगांव 15- सिसोर	0	0	1334025	0	0	165	15180	17836	15180	14025	12870


 स्टाम्प सहायक
 जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


 प्रभारी अधिकारी
 जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


 अपर जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी ।

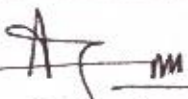

 जिलाधिकारी,
 उत्तरकाशी ।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)										
			कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर ऐरिया सुपर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)	
			निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
			0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्रेणी-क	जोशियाडा, लदाडी, कन्सेण, डांग,	19961700	18573060	17397450	2762	2617	2522	17537	20194	17537	16382	15227
2	श्रेणी-ख	तिलोथ, माण्डो, कोटियालगांव	19961700	18573060	17397450	2762	2617	2522	17537	20194	17537	16382	15227
3	श्रेणी-ग	दिलसौड का मनेरा तोक	9973260	9279468	8692110	1320	1251	1205	16220	18877	16220	15065	13910
4	श्रेणी-घ	बौगा, भेलूडा, जसपुर	7104240	6610032	6191640	1047	992	957	15972	15972	15972	14817	13662


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रमारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

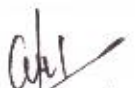

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

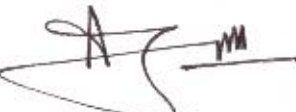
नगरीय क्षेत्र उप तहसील जोशियाडा । वर्ष 201४ ।

क्र०सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	सामान्य दर (Base Rate)										
			कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय मवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर सुपर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक मवन की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)	
			निर्धारित दर			निर्धारित दर				(रु० प्रति वर्ग मी०)		(रु० प्रति वर्ग मी०)	
			0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	श्रेणी-क	राजस्व ग्राम बाडाहाट के वार्ड -न०-2 सुनारखोला ,वाल्मीकी बस्ती,गंगानगर कक्ष वार्ड न० 4-जिला चिकित्सालय,भटवाडी मार्ग, गांधी पार्क कक्ष, वार्ड न०४ -मस्जिद मौहल्ला, कलैक्ट्रेट कालोनी, उपला बाडाहाट, वार्ड न० 8 रामलीला मैदान,कैदारघाट कक्ष,जयपुर मन्दिर,वार्ड न०९-कपूर मौहल्ला, जडमरत मार्ग,कालीकमली धर्मशाला, वार्ड सं० 5 का लक्षेश्वर	42757000	40505920	39039000	4605	4362	4204	19219	21876	19219	18064	16909
2	श्रेणी ख	राजस्व ग्राम ज्ञानसू के वार्ड न० 1-पादुली, वार्ड न०३-पल्ला ज्ञानसू, लिहावा, पशुचिकित्सालय, पुलिसलाइन कक्ष,	41112500	38948000	37537500	4441	4206	4054	19069	21726	19069	17914	16759
3	श्रेणी ग	राजस्व ग्राम गंगोरी वार्ड न० 5-गंगोरी राजस्व ग्राम बाडाहाट वार्ड न० 5 , मुफियारा, व खाण्ड वार्ड न० 1 इन्द्रा कलोनी जांबाखानी राजस्व ग्राम ज्ञानसू के वार्ड न०७ - ज्ञानमन्दिर, जीकापी, हाईडिल कक्ष	39468000	37390080	36036000	4276	4051	3904	18919	21575	18919	17764	16609


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

ग्रामीण क्षेत्र उप तहसील धौन्तरी। वर्ष 2018

सामान्य दर (Base Rate)														
क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की	
											(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	17	18	19	20	21
1	श्रेणी-क	1-गढ़वाती 2- बड़ेथ (गाजणा) 3- गोरसाड़ा, 4-घणोटी 5- उडरी 6- दिखोली 7-मट्टी, 8-पोखरियालगांव,	1-उत्तरकाशी-लम्बगांव मोटर मार्ग	1550258	1468639	1415453	680	541	185	15609	18266	15609	14454	13299
2	श्रेणी-ख	1-भेटियारा, 2- भडकोट, 3- बागी, 4- कमद, 5-ठाण्डी, 6-न्यूगांव, 7-नैपड़, 8-भैन्त, 9-सिरी, 10-न्यूसारी, 11-हुल्डियाण, 12- सटियालीधार	1-धौन्तरी-कमद मोटर मार्ग 2-न्यूगांव-सारी-श्रीकालखाल मोटर मार्ग, 3-धौन्तरी-सिरी लिंक मार्ग	1523060	1442874	1390620	574	456	182	15517	18173	15517	14362	13207
3	श्रेणी-ग	1-सौड़, 2-लोदाडा, 3-कुमारकोट, 4-जालंग, 5- हुल्डियाण, 6- चौन्दियाटगाँव।	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं हैं।	-	-	1365788	-	-	180	15194	17850	15194	14039	12884

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रभार अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

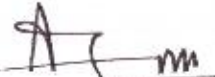
अर्द्धनगरीय क्षेत्र उप तहसील धौन्तरी। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी											
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	17	18	19	20	21
1	श्रेणी-क	1-धौन्तरी, 2-भेटियारा (धौन्तरी तोक),	उत्तरकाशी लम्बगांव मोटर मार्ग	9044750	8568560	8258250	1063	911	840	15944	18601	15944	14789	13634


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

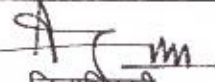
नगरीय क्षेत्र उप तहसील धौन्तरी। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				वर्तमान 2018 की दर			वर्तमान 2018 की दर				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	17	18	19	20	21
शून्य														


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील डुण्डा। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				वर्तमान 2018 की दर			वर्तमान 2018 की दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	17	18	19	20	21
1	श्रेणी-क	1- पटारा (नालूपानी तोक), 2- रतूडीसेरा, 3-गैवला(बरसाली), 4-चिणाखोली, 5-बरसाली (निचला नाकुरी), 6-खटटूखाल (रुणबासा तोक)।	1-धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1631850	1545936	1489950	1032	776	194	15944	18601	15944	14789	13634
2	श्रेणी-ख	1-कौड़ा-फेडी, 2-कल्याणी, 3-हरेती, 4-पनोथ, 5-मद्राली, 6-कुमराड़ा, 7-जसपुर, 8-खुरमोला, 9-नगल, 10-ग्योंणोटी, 11-जिनेथ, 12-सौन्द (मण्डारस्यू), 13-बग्यालखेत, 14-पैन्थर, 15-माडियासारी।	1-धरासू-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1604653	1520170	1465118	832	556	191	15748	18404	15748	14593	13438
3	श्रेणी-ग	1-अस्तल, 2-रनाड़ी, 3-हिटांगू, 4-गवाणा, 5-दिकबिजपुर, 6-किरुण, 7-कोटी-माटगांव, 8-फोल्ड, 9-बगसारी, 10-चकोन, 11-पिपली-मंजकोट, 12-मटवाड़ी-घनारी, 13-पुजारगांव (घनारी), 14-बगणगांव, 15-चिलमुड़गांव, 16-उदालका, 17-मालसी, 18-दिगथोल।	1-देवीघार-रनाड़ी मोटर मार्ग 2-देवीघार-फोल्ड मोटर मार्ग	1577455	1494405	1440285	772	551	187	15690	18315	15690	14535	13380

4	श्रेणी-घ	1-मंजगांव, 2-वाण, 3-जवागांव, 4-मैनोल, 5-बड़ेथ (पट्टी मण्डारस्यू), 6-रेशगी, 7-टिपरा, 8-जोग्याड़ा, 9-छमरौली, 10-जेमर, 11-मैनोल, 12-जुणगा, 13-जखारी, 14-पटारा, 15-मालना, 16-गेंवला (पट्टी बरसाली), 17-बौन, 18-सिंगुणी, 19-दुंगी, 20-बैजकोट, 21-पैणी-मवान, 22-ईड़, 23-थाती, 24-कलीगांव, 25-बग्यालगांव, 26-पटुड़ी, 27-दड़माली, 28-डांग, 29-जसपुर, 30-जुगुल्डी, 31-गढ़(बरसाली), 32-खरवां, 33-सोन्द (बरसाली), 34-पंज्याला, 35-बरसाली, 36-कवां, 37-खुरकोट, 38-मराणगांव, 39-उपरीकोट, 40-माटूसरा, 41-कुन्सी, 42-पाव, 43-मांगलीसेरा, 44-सिंगोट, 45-बान्दू, 46-लोल्दू, 47-ओल्या, 48-दिगथोल, 49-बगियालगांव, 50-रागडीसेरा, 51-सांगोसेरा,	1-सिलक्यारा-बणगांव मोटर मार्ग 2-ब्रह्मखाल-जुणगा मोटर मार्ग 3-कल्याणी-पटारा मोटर मार्ग 4-गेंवला-बौन मोटर मार्ग 5-देवीघार-पटुड़ी मोटर मार्ग 6-पुजारगांव-दड़माली मोटर मार्ग 7-कल्याणी-जुणगा मोटर मार्ग 8-नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग 9-स्यालना-जसपुर-डांग-ओल्या मोटर मार्ग 10-गेंवला-जुगुल्डी-पंज्याला मोटर मार्ग 11-बड़ेथी-कवां मोटर मार्ग 12-ज्ञानसू-साल्ड-उपरीकोट मोटर मार्ग 13-स्यालना-नवागांव मोटर मार्ग 14-कल्याणी-हरेती मोटर मार्ग 15-कवूडा-देवता कुराह मोटर मार्ग 16-मांगलीसेरा-कुन्सी मोटर मार्ग	1523060	1442874	1390620	574	456	182	15517	18173	15517	14362	13207
5	श्रेणी-ङ	1-बुघाणगांव, 2-सोमन, 3-पुजारगांव (मण्डारस्यू), 4-मसोन, 5-सरतली, 6-कुलेथ, 7-चिनाणगांव, 8-दुंगालघार, 9-पंचाणगांव, 10-दुंगालगांव, 11-डाण्डागांव, 12-माजफ, 13-घारकोट, 14-मुसडगांव, 15-दिवली।	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	-	-	1365788	0	0	180	15194	17850	15194	14039	12884

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

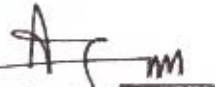
अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील डुण्डा। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	
				वर्तमान 2018 की दर			वर्तमान 2018 की दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1-बड़ेथी, 2-मातली,	धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	9867000	9347520	9009000	1124	997	919	16025	18682	16025	14870	13715
2	श्रेणी-ख	1-गेंवला (मण्डारसू), 2-बीरपुर, 3-डुण्डा, 4-सिंगोटी	धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	9487500	8988000	8662500	1109	953	878	15985	18642	15985	14830	13675


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रगारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

नगरीय क्षेत्र तहसील दुण्डा। वर्ष 2018।

(18)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				वर्तमान 2018 की दर			वर्तमान 2018 की दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
शून्य														

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अधिस-जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

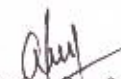
ग्रामीण क्षेत्र तहसील चिन्वालीसौड़। वर्ष 2018।

191

ग्रामीण क्षेत्र तहसील चिन्वालीसौड़। वर्ष 201७।															
क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर		
				05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)		
											दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	श्रेणी-क	1-काण्डी, 2-जोष्टवाड़ी, 3-मोर्गी, 4-बरेट, 5-श्रीकोट बिष्ट, 6-कुठाल्डी, 7-बनाडी, 8-गड़ोली, 9-धारकोट	1-बड़ेथी-बनचौरा- बद्रीगाड़ मोटर मार्ग,	1573787	1490929	1436936	689	559	185	15618	18274	15618	14463	13308	
2	श्रेणी-ख	1-मथाली, 2-क्यारी दशगी, 3-बनोट पल्ला, 4-बनोट वल्ला, 5-बागी दशगी, 6-बड़ली, 7-पुजारगांव दशगी, 8-बणगांव, 9-कवाटा, 10-जिब्या, 11-डाण्डागांव, 12-सिंगाणगांव, 13-मंगाणगांव, 14-रिखाणगांव, 15-खदाड़ा, 16-बदालडा, 17-उड़खोला, 18-रमोली, 19-तराकोट, 20-टिपरी दशगी, 21-टण्डोल, 22-छैजुला, 23-नेरी, 24-तुल्याड़ा, 25-गैलाड़ी, 26-मड़कोट, 27-कवागढ़ी, 28-मैगवालगांव, 29-जोगत बिचला, 30-जोगत मल्ला, 31-सर्प, 32-क्यारी दिचली, 33-हडियाड़ी, 34-अनोल, 35-बगोडी, 36-बधाणगांव, 37-मल्ली, 38-बल्डोगी, 39-छोटी मणी, 40-बडीमणी, 41-बरोल, 42-खालसी, 43-कुमराड़ा।	1-सिल्वयारा बणगांव-चापड़ा सरोट मोटरमार्ग 2-बड़ेथी गुनालीबैण्ड-उड़खोला-जिब्या-टण्डोल मोटर मार्ग 3-चिन्वाली-जोगत मोटर मार्ग 4-मणी-बधाणगांव-खालसी मोटर मार्ग	1546653	1465224	1412161	601	491	182	15607	18264	15607	14452	13297	

3	श्रेणी-ग	1-कान्सी, 2-मौघ, 3-कान्दला, 4-मथोली, 5-इन्द्रा, 6-टिपरी बिष्ट, 7-कामदा, 8-कपराड़ा, 9-बादसी, 10-अदनी, 11-रौतल, 12-मरगांव, 13-चमियारी, 14-पीपलखण्डा, 15-उलण, 16-पुजारगांव गमरी, 17-खाण्ड, 18-गुयारा, 19-कैथोगी, 20-जोखणी, 21-मल्डगाव, 22- विलोट।	1-चिन्वाली-सरोट चापड़ा मोटरमार्ग 2-टण्डोल-छैजुला मोटर मार्ग 3-बड़ेथी-बनचौरा-कान्दला- महेड़ा कटखेत मोटर मार्ग 4-कैथोगी मोटर मार्ग 5-इन्द्रा-टिपरी मोटर मार्ग 6-बनचौरा-बणगांव मोटर मार्ग 7-चिन्वाली-बादसी मोटर मार्ग 8-धरासू-रौतल मोटर मार्ग 9-धरासू-चमियारी उलण मोटर मार्ग 10-भड़कोट-रौतल गोलोकधाम मोटर मार्ग 11-जेष्टवाड़ी-जोखणी मोटर मार्ग 12- बरोल-बडीमणी- मल्डगांव मोटर मार्ग 13- कान्सी-कोटी-थिराणी मोटर मार्ग 14- विलोट मोटर मार्ग	1519518	1439518	1387386	576	452	180	15520	18177	15520	14365	13210
4	श्रेणी-घ	1-जोगत तल्ला, 2-गुढवालगाड, 3-कटखाण, 4-न्यू खालसी, 5-वनकोट, 6-जगडगाँव, 7-श्रीकोट दिचली, 8-कोट गमरी, 9-चौदपुर, 10-गमरी खास, 11-जसपुर, 12-कोट गैरी, 13-गड्ढ, 14-मुरोगी, 15-सूरी, 16-दारगढ, 17-बमणती, 18-कोट बिष्ट, 19-बागी बिष्ट, 20-सिरा, 21-थाती दिचली।	मोटर मार्ग से आच्छादित न होने वाले ग्रामों में भूमि की दर	-	-	1362611	-	-	175	15190	17847	15190	14035	12880


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

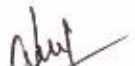

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील चिन्यालीसौड़। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की	
											(₹0 प्रति वर्ग मीटर)		(₹0 प्रति वर्ग मीटर)	
											दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	05 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	17	18	19	20	21
1	श्रेणी-क	1- नागणी छोटी, 2- हिटारा।	1-ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	10018800	9491328	9147600	1162	1044	982	16124	18780	16124	14969	13814
2	श्रेणी-ख	1- नेरी (दिखोली तोक) 2- धारकोट (बनचौरा तोक) 3- टण्डोल (कोटघार तोक)	1-घरासू-जोगत मोटर मार्ग। 2-बडेथी-बनचौरा-बदीगाड मोटर मार्ग। 3- बडेथी-गुनाली बैण्ड-उडखोला-जिब्या-टण्डोल मोटर मार्ग	9601350	9095856	8766450	1113	1002	936	16078	18734	16078	14923	13768


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

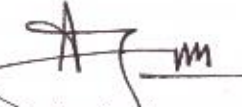
नगरीय क्षेत्र तहसील चिन्यालीसौड़। वर्ष 2018।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि			अकृषि भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
											दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी क	नगर पंचायत चिन्यालीसौड़ के वार्ड न० 02, चुपल्या श्यामपुर, वार्ड न०- 3 सूरीठांग, वार्ड न०- 4 पीपलमण्डी, वार्ड न० 5 जोगत रोड एवं वार्ड न० 6 नागणी बडी, धनपुर।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	10018800	9491328	9147600	2420	2119	1848	17325	19982	17325	16170	15015
2	श्रेणी ख	नगर पंचायत चिन्यालीसौड़ के वार्ड न० 01 चिन्याली मूलगांव, वार्ड न० 07 बडेथी घरासू।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2- घरासू- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	10018800	9491328	9147600	2178	1883	1617	17094	19751	17094	15939	14784


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


प्रकाश अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बडकोट, वर्ष 2018

क्र०सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (सेकका/ कच्चा)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी-क	वीफ, खरसाही, वनास, वाडिया(हनुमानचट्टी), राना, कुन्साला (स्यानाचट्टी), गन्साली (खरादी), खनेडा (खरादी) काण्डी, किसना, तुनाल्का	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1624260	1511268	1483020	1195	997	181	16090	18747	16090	14935	13780
2	श्रेणी-ख	ग्राम डण्डालगाँव, बडकोट (पौलगाँव) , बजरी, पाली, पुजारगाँव, कुथनौर, किसाला, नन्दगाँव, बिल्लागाँव, कुर्गो, भिकियारा, सिगुणी (बर्नीगाड),कण्डहरी(सारीगाड) खगुण्डीगल्ली (सारीगाड) रिखार, कण्डहरी, खनाटी, मातला, दुईक, बडोनी का राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाला भाग)	1-धरासू-राष्ट्रीय राजमार्ग 2-दिल्ली-यमनोत्री राजमार्ग	1597189	1486080	1458303	701	610	166	15628	22155	15628	17651	16286
3	श्रेणी-ग	(सुनारा, पलेठा, मजियाली) (कोटियाल गाव, बगासू, पौन्टी, सुनाल्डी, डण्डगाँव, सिना, मोना, ईरक, गखोली, कोटी बनाल, बखरेटी, धानकी, गुलाडी, मानी, धराली, राजगढी, डल्लाटगाँव, फरी, गंगटाडी, कोटी ठकराल, धपटाडी, सरनौल) (नन्दगाँव का राजतर तोक, डल्लाटगाँव का टटार तोक)	1-नौगाँव-पलेठा एवं नौगाव-पुरोला मोटर मार्ग- 2 - नौगाँव-राजगढी-गंगटाडी-सरनौल मोटर मार्ग 3- राजतर-राजगढी मोटर मार्ग	1570118	1460892	1433586	596	500	174	15337	18193	15337	14382	13227
4	श्रेणी-घ	बिजीरी, निराणी, सेमलसारी, पालुका, नरयुंका, धारीपल्ली, कलोगी, हिमरौल, कफनौल, डोल्यूका, बर्नीगाड मु०, तिखो, बजलाडी, मानणगाँव, बर्नीगाड खाटल	1-कुंवा-कफनौल मोटर मार्ग 2- कफनौल-डोल्यूका-दारसो होते हुये सेमलसारी मोटर मार्ग	1543047	1435705	1408869	580	477	171	15521	18178	15521	14366	13211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	श्रेणी-ड0	गोदीन, खगुण्डीतल्ली, खगुण्डीगल्ली, गातू, कलोजगांव, गताडी, खिर्गू, बुरी, लोदन, ओडगांव, जुगडगांव, मोलागांव कखोन, दियाडी, सेतवाडी, डरोनी, माटिया, गढ, घोषडा, कसलाना थान, नगाणगांव, मसालगांव, खाण्ड, ब्याली, गैर वनाल	1-डामटा-कण्डारी- सारीगाढ मोटर मार्ग 2-सारीगाढ-गातू-मोलागांव मोटर 3-दियाडी-सेतवाडी मोटर मार्ग 4-किसाना-माटिया मोटर मार्ग 5-गगरागढ-घोषडा-कसलाना मोटर मार्ग 6-रवाडा-खण्ड-मसालगांव मोटर मार्ग 7-गैर-ब्याली मोटर मार्ग	1515976	1410517	1384152	244	198	169	15248	17905	15248	14093	12938
6	श्रेणी-व	दुर्विल, पिण्डकी मदेश, निसणी, कोठार, दामुणगांव, कुपडा, त्रिखली, हलना, पाली, फूलघार, कुर्तिल, रवालब, रुकण, स्यालगा, भन्साडी, कन्सेरु, मोल्डा, कुण्डा, बघाणगांव, बसराली, पटांगणी, पालर, कवालगांव गरशु, धुण्ड, घौसाली, जखाली, गाल्ड, कुड, सिसाला, कोटला, नथेडगांव, धण्डाला, जुमराडा, बिसाटगांव, डेलडा, बिगराडी, करनाली, काण्डा, पौडी, छेटी, जेफ्टाडी, कुणी, गोल वनाल, नैणी, माटियाली, किम्मी, विंगसी, पिस्साउ, रस्ताडी, कडाउं, पालुका, नरथुका, पमाडी, गैर मुगरसन्ती, बिगरी, क्वाडी, सपेटा, कोटियाल गांव, कन्सोला, खानसी, बलाडी, बनीगाड, छुडी, तेंडा, जरडा, बिरुथा, देवल, पमाडी, रिखाउं, कसलाना, न्यूडी, भौवी, सरणाचक, खावला, कुफन, निसणी, नौगांव गोडर, ठोल्युका, कलोजगांव, गताडी, केवलगांव, खिर्गू, जान्दुणगांव, फुवाणगांव, क्षिमाणगांव, जुगडगांव, भुनडगांव, कखोन, दारसों, सिद्धग, छतरी, गोलठकराल, गैर मुगरसन्ती	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	0	0	1359435	0	0	165	17949	21088	17949	16584	15219

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

अधर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

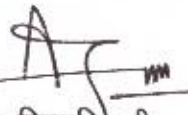
अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बडकोट वर्ष 2018

क0स0	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु0 प्रति हे0)			अकृषि भूमि (रु0 प्रति वर्ग मी0)			बहुगंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु0 प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0 प्रति वर्ग मीटर)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर							
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (से पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 श्रेणी-क	नौगांव, घासीबल्ली, गुराही, गुंगरा, सौली,	दिल्ली- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1624260	1511268	1483020	1229	997	181	16090	18747	16090	14935	13780


स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।


अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

नगरीय क्षेत्र तहसील बडकोट। वर्ष 2018।

क्र०सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेम पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	नगर पंचायत बड़कोट- नगर पंचायत बड़कोट वार्ड नं० 5 पन्तनगर- आई०टी आई रोड, मिष्ठान मण्डार से नीचे जल निगम कालोनी तक वार्ड नं०-6 शस्त्रीनगर- आई०टीआई हैलीपैड, तहसील कार्यालय, वार्ड नं०-7 का भाग डायट, पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, हारपीट एवं विधुत विभाग	दिल्ली - यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	17602475	16377955	15341288	1948	1813	1577	16875	19531	16875	15720	14565
2	श्रेणी-ख	वार्ड नं० 1 -गोपीनगर- बड़कोट गांव , चकाली टोक, वार्ड नं०-3 पटेलनगर- इन्टर कालेज से लक्ष्मीनारायण तक, वार्ड नं०-4 ' सुभाष नगर - नगर पंचायत आफिस /शिव मन्दिर का एरिया, नत्थुमोहल्ला व थारामशीन	दिल्ली - यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	16837150	15665870	14674275	1948	1813	1465	16741	19398	16741	15586	14431
3	श्रेणी-ग	वार्ड नं०-7 सुमननगर के पटेलनगर - एवं वार्ड नं०-2 गोविन्दनगर ग्राम साड़ा, उपराडी, चक्रगांव का कुछ भाग - जंगलात विभाग, सिंचाई विभाग की कालोनी एवं पुरानी तहसील , कन्हा इण्टर कालेज ,डायट ,लो०नि०वि०, मदी मोहल्ला एवं पुरानी तहसील से नीचे व उपर का भाग	दिल्ली - यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	16071825	14953785	14007263	1948	1813	1351	16609	19265	16609	15454	14299
4	श्रेणी-घ	नगर पंचायत बड़कोट से बाहर एवं नगर पंचायत से लगे ग्राम बड़कोट, उपराडी ,साड़ा, चक्रगांव, किसान (सरखेत), फ़ांवा	दिल्ली - यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	15306500	14241700	13340250	1670	1489	1239	16476	19132	16476	15321	14166

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रभार अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी तहसील पुरोला (ग्रामीण क्षेत्र) वर्ष 2018।

(27)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			बहुमजलीय आवासीय गठन में स्थित आवासीय प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर				(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी-क ग्रामीण सड़कों से लगे हुए ग्राम	1-विणगघेरा बल्ला, 2-विणगघेरा पल्ला, 3-हुडोली, 4-गैण्ड, 5-सोन्दाही, 6-चन्देरी, 7-घुम्बाडा, 8-सुनाली, 9-धिवरा लगा सुनाली, 10-धिवरा लगा खडकवासम, 11-सुकडाला, 12-श्रीकोट, 13-पोरा, 14-घामपुर, 15-मठ, 16-कण्डियालगांव, 17-दिकालगांव, 18-गुन्दिवाटगांव, 19-रौन, 20-सामागांव, 21-वेष्टी बल्ली, 22-वेष्ट पल्ली, 23-मोल्ताडी प्रहरीवा की, 24-कुमारकोट, 25-मैरियाणा, 26-डकाडा, 27-कुफारा, 28-चपटाडी अर्द्धनगरीय रीका खडक को छोड़कर, 29-पुजेली (रा०), 30-खलाडी, अर्द्धनगरीय चकचन्देरी को छोड़कर, 31-नेत्री, 32-करडा, 33-दणमाणा, 34-पुजेली (बा०), 35-कुमोला, 36-कोरना, 37-ठकराडी अर्द्ध नगरीय क्षेत्र श्रीकालगढ़ गैस गोदाम को छोड़कर, 38-पाणीगांव, 39-खडकवासम, 40-मदाली, 41-नौरी, 42-स्वील, 43-महरगांव, 44-भंकोली,	1- पुरोला-नौगाँव मोटर मार्ग के ग्राम विणगघेरा बल्ला, विणगघेरा पल्ला, हुडोली, गैण्ड, सोन्दाही, चन्देरी 2- पुरोला-मोरी मोटर मार्ग के ग्राम घुम्बाडा, सुनाली, धिवरा लगा सुनाली, धिवरा लगा खडकवासम, सुकडाला 3- पुरोला-श्रीकोट मोटर मार्ग ग्राम श्रीकोट 4- पुरोला-पोरा मोटर मार्ग ग्राम पोरा 5- पुरोला-गुन्दिवाटगाँव मोटर मार्ग के ग्राम घामपुर, मठ, कण्डियालगाँव, दिकालगाँव, गुन्दिवाटगाँव, रौन, सामा, वेष्टी बल्ली, वेष्टी पल्ली 6- पुरोला-गुन्दिवाटगाँव, घामपुर एवं कुमारकोट के मोटर मार्ग के ग्राम मोल्ताडी (प्र०) कुमारकोट 7- पुरोला-डकाडा, कुफारा मोटर मार्ग के ग्राम मैरियाणा, डकाडा, कुफारा 8- पुरोला-खलाडी छोली मोटर मार्ग के ग्राम चपटाडी, अर्द्धनगरीय क्षेत्र को छोड़कर, पुजेली (ख०), खलाडी नगरीय क्षेत्र चक चन्देरी को छोड़कर, नेत्री, करडा 9- पुरोला-दणमाणा मोटर मार्ग के ग्राम दणमाणा 10- पुरोला-कुमोला पुजेली नौरी मोटर मार्ग के ग्राम पुजेली (बा०), कुमोला, कोरना, ठकराडी अर्द्धनगरीय क्षेत्र श्रीकालगढ़ गैस गोदाम को छोड़कर 11- हुडोली-पाणीगाँव मोटर मार्ग के ग्राम पाणीगाँव 12- पुरोला-मठ-खडकवासम-मदाली मोटर मार्ग के ग्राम खडकवासम, मदाली 13- पुरोला-कुमोला-नौरी मोटर मार्ग के ग्राम नौरी 14- पुरोला-सौदाही-स्वील मोटर मार्ग के ग्राम स्वील 15- पुरोला-कण्डियालगांव-महरगाँव के ग्राम महरगाँव 16- बर्नीगाढ़-साखामण्डल-भंकोली मोटर मार्ग के ग्राम भंकोली	1523060	1442874	1390620	881	844	174	15856	18513	15856	14701	13546
2	श्रेणी-ख अन्य ग्राम / अविकसित ग्राम / दुरस्थ क्षेत्र	1-धली, 2-छमरोटा, 3-कामरा, 4-नाडासांखाल, 5-कन्ताही, 6-बिणाई, 7-नैलाही, 8-उडुंग, 9-रोडी, 10-शिकारू, 11-पुजेली, 12-सुराणूकीसेरी, 13-स्यालुका (रेवडी), 14-डोखरियाणी, 15-मोल्ताडी (राजपूतो की), 16-नागझाला, 17-बुंकरा, 18-सरगांव, 19-लेवटाडी, 20-खिगाडी, 21-पीटी, 22-कसली, 23-किमडार, 24-छानिगांव, 25-गौल, 26-डोखरी, 27-लमकोटी	तहसील पुरोला अन्तर्गत अन्य ऐसे ग्राम जो सड़क / मोटर मार्ग से जुड़े हुए नहीं है ग्रामीण क्षेत्र	0	0	1365788	0	0	172	15187	17844	15187	14032	12877

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रमारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर				(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी - क मुख्य मार्ग में लगे हुए अविकसित ग्राम	देवदुंग, कोटी, मोलकट, श्रीकाल गढ़, गैस गोदाम (ठकाराड़ी), अंगोला, चौकाखड़(चपटाड़ी)	1- पुरोला-गुन्दियाटगांव मोटर मार्ग के ग्राम देवदुंग,कोटी 2- पुरोला-कुंगोला, नौरी मोटर मार्ग के ग्राम मोलकट, ठकाराड़ी का श्रीकालगढ़, गैस गोदाम तक 3- पुरोला-मोरी मोटर मार्ग के ग्राम अंगोला 4- पुरोला-घडोली मोटर मार्ग के ग्राम चपटाड़ी का चौका खड़	9734175	9221680	8887725	1001	959	904	15933	18589	15933	14778	13623

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख भाग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			अकृषित भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर				(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी-क मुख्य मार्ग में लगे हुए विकसित ग्राम	नगर पंचायत पुरोला (पुरोला, खाबलीसेरा, छाडा, चकचंदेली (खलाडी), कुरडा, छिबाला, मखना)	1- नौगांव पुरोला मोरी मोटर मार्ग के ग्राम पुरोला, खाबलीसेरा, छाडा, चक चंदेली 2- पुरोला कुरडा मोटर मार्ग के ग्राम कुरडा 3- पुरोला गुन्दियाटगांव मोटर मार्ग के ग्राम छिबाला 4- पुरोला कुमोला नौरी मोटर मार्ग के ग्राम मखना	10075725	9545256	9199575	1040	974	934	15964	18621	15964	14809	13654

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

प्रमारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील मोरी। वर्ष 2018

क्र.सं.	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व प्राप्ति की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)					
				नियमित दर			नियमित दर											
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	श्रेणी -क	1-चिवा 2-किराणू, 3-आराकोट, 4-बरनाली, 5-कुकरेड़ा (खूनीगाढ़) 6-खरसाडी, 7-ओडाटा (मोरा टोक) 8-बामसू (भादल चक) 9-धली (मुटोत्रा जगमेर टोक) 10-सरांश (बिन्दी टोक) 11-बैनौल (केवला टोक), 12-सावला (देई टोक) 13-गैचवाणगांव, 14-सांकरा, 15-दणगाण गांव, 16-कोटवाड, 17-सिंदरी , 18-जखोल, 19-पांव तल्ला, 20-सुनकुण्डी, 21- गोकुल, 22-वारा, 23- ओटाडी	1-पुरोला-मोरी-आराकोट-चिवा-बालवा मोटर मार्ग 2-मोरी-नैटवाड- सांकरा, जखोल मोटर मार्ग ।	4604652	1520170	1465117	446	363	184	15410	18066	15410	14255	1310				
2	श्रेणी-ख	1- जागटा, 2- डगोली	1- पुरोला-मोरी, चिवा मोटर मार्ग	1550257	1468583	1415452	437	351	177	15397	18054	15397	14242	13087				
3	श्रेणी-ग	1- मौडा, 2- बलाफट, 3- खाली, 4-अडासू, 5- दुवाणू, 6- माकुडी, 7- गमरी, 8- पावली, 9- मुटाणू, 10- फैजडी, 11- किराली, 12- मोटाड, 13- पास, 14- पोखरी, 15- देवरा, 16- सौड, 17- नैटवाड, 18- दोनी, 19- पाव मल्ला	1- चिवा-मोडा, 2- टिकोली, दोवाणू मोटर, 3- बरनाली, माकुडी मोटर मार्ग, 4- खूडी गमरी, मोटाणू मोटर मार्ग, 5- मोरी, मोटाड मोटर मार्ग, 6- पासा-पोखरी मोटर मार्ग, 7. नैटवाड देवरा मोटर मार्ग, 8- नैटवाड दूणी मोटर मार्ग, सांकरा तालुका मोटर मार्ग।	1523060	1442873	1390620	429	344	191	15391	18047	15391	14236	13081				
4	श्रेणी-घ	1. कलेच, 2. भंखाड, 3. बेगल, 4. कुकरेड़ा, 5. डागटी मुनारा, 6. देवली, 7. धली, 8. बामसू, 9. ओडाटा, 10. सरांश, 11. पोटाडी, 12. सावला, 13. पैसर, 14. गुराडी, 15. हलताडी, 16. स्वीसाडगांव, 17. देवजानी, 18. जियाणू, 19. डाटागांव, 20. रमालगांव, 21. डोमालगांव, 22. विनसारी, 23. खेड़नी, 24. नेत्रुशा, 25. नुराणू, 26. बलाव, 27. पुजेली, 28. देवल, 29. खन्वाडी, 30. खना, 31. ग्यालगांव, 32. सेवा, 33. सट्टा, 34. मसरी, 35. बरी, 36. हडगाडी, 37. मिठरी, 38. गंगाड, 39. ओसला, 40. पंवाडी, 41. डाटपैर, 42. घरा परग, 43. सट्टी, 44. सावडी, 45. सिरगा, 46. फिताडी, 47. रेगवा, 48. कासला, 49. साला, 50. लिवाडी, बैनौल।	तहसील मोरी के अन्तर्गत ऐसे ग्राम जो सड़क / मोटर मार्ग से जुड़े नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र।	0	0	1365787	0	0	172	15187	17844	15187	14032	12877				

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील मोरी, वर्ष 2018।

क्र.सं.	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (₹0 प्रति हे०)			अकृषि भूमि (₹0 प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रेणी-क	नानई मोरी	पुरोला -मोरी-नैटवाड- जखोल मोटर मार्ग	4478100	4242336	4089120	462	441	416	15431	18073	15431	14302	13147

स्टाम्प सहायक
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी
जिला कार्यालय उत्तरकाशी ।

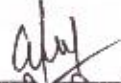
अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

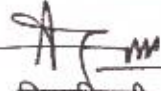
नगरीय क्षेत्र तहसील मोरी। वर्ष 2018।

क्र०सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)											
				कृषि भूमि (रु० प्रति हे०)			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				(रु० प्रति वर्ग मीटर)		(रु० प्रति वर्ग मीटर)		
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
शून्य															


 स्टाम्प सहायक
 जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


 प्रमारी अधिकारी
 जिला कार्यालय उत्तरकाशी।


 अपर जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी।


 जिलाधिकारी,
 उत्तरकाशी।